हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

रामस्वरूप बनाम रामकरण

प्रार्थना पत्र संख्या 49/2023(जीसीएमएस नम्बर 2023/188)

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

12.12.23

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता उपस्थित। उन्होने दौराने बहस कथन किया है कि प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री सुरेश कुमार यादव, अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा का स्थानान्तरण अन्यत्र हो जाने से उनके खिलाफ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुन्तकिली सारहीन हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की बहस पर मनन किया गया एवं तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के सम्बन्ध में जानकारी की गई जिससे जाहिर है कि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री सुरेश कुमार यादव, अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा का स्थानान्तरण अन्यत्र हो गया है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र मुन्तकिली सारहीन हो चुका है जिसे अब आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

(असलम शेर खान)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।